भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4899
सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

†4899. श्री एंटो एन्टोनी:
श्री बेन्नी बेहनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई श्रम संहिताओं से संबंधित मसौदा केंद्रीय नियमों पर सार्वजनिक परामर्श अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों की कुल संख्या कितनी है और उक्त आपत्तियों की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने प्राप्त टिप्पणियों का कोई मुद्दा-वार सार-संग्रह तैयार कर उसे सार्वजनिक पटल पर रखा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी नियम-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त अभ्यावेदनों (सुझावों/आपत्तियों) के आधार पर अंतिम नियमों में कोई संशोधन किए गए है, और यदि हां, तो तत्संबंधी नियम-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) प्रत्येक संहिता के अंतर्गत संबंधित राज्यों द्वारा राज्य-नियमों को तैयार करने और अधिसूचित करने की स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा सामंजस्य और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ); केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताएं अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएँ संहिता, 2020 कार्यान्वित की हैं जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 30.12.2025 को उपर्युक्त चारों श्रम संहिताओं के तहत केंद्रीय नियमों का मसौदा भी पूर्व-प्रकाशित किया है, ताकि हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। मंत्रालय ने जनवरी-फरवरी, 2026 के दौरान पांच क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए, जिनका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इन संहिताओं के तहत अपने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए जागरूक करना था, ताकि पूरे देश में इनका सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
